नोटराम / हरकार (16)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22-6-12 349/2010

उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत में आपसी तौर किया गया कुड़की में पेश उभी वादी के कार्यालय मुकाम में दरख्त प्रस्तुत कर निलंबन किया की कार्यालय लेख से चुके है तथा वादी के द्वारा इसी प्रकरण में माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट में दायर की गई पुनरीक्षण निगरानी क्र. 9/06/9.01 के लंबित चल चुकी है इसलिये तथा इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है इसलिये कार्यवाही को ड्रॉप की जावे।

अतः वादी के कार्यालय के निलंबन पर दरख्त स्वीकार की जाती है तथा वादी का कर्जा निर्दोष रिहाई किया जाता है निर्णय आज मेरे द्वारा तैयार पत्रावली लेखन सुनाकर तैयार कर मेरा हस्ताक्षर दर्ज।

अध्यक्ष